प्रारंभिक परीक्षा

विधानमंडल में CAG रिपोर्ट पेश करना

संदर्भ

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट को बताया है कि शहर के प्रशासन पर CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से "कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा" क्योंकि इसका कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में विधानसभा में लगभग एक दर्जन CAG रिपोर्ट पेश नहीं की हैं, उनमें से कुछ को चार साल पहले एलजी के सामने पेश किया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में -

- **CAG संघ और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्ययों के साथ-साथ उन निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।**
- संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी की नियुक्ति, कर्तव्य और रिपोर्ट शामिल हैं।
- **कार्यकाल:** CAG (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार, CAG **6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष** की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
- **त्यागपत्र:** CAG किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेजकर त्यागपत्र दे सकता है।
- **निष्कासन:** CAG को उसके पद से केवल उसी तरीके और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।**
- **CAG द्वारा किए जाने वाले ऑडिट या लेखापरीक्षा के प्रकार:**
    - **अनुपालन लेखापरीक्षा:** सरकार द्वारा कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करता है।
    - **निष्पादन लेखापरीक्षा:** योजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का आकलन करता है।
    - **वित्तीय लेखापरीक्षा:** सरकार के खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के खातों को प्रमाणित करता है।

तथ्य

- **एडवर्ड ड्रमंड पहले महालेखा परीक्षक थे जिन्हें वर्ष 1860 में नियुक्त किया गया था।**
- **1976 में, लेखांकन को ऑडिट से अलग करने** के कारण **CAG** को केंद्र सरकार के खातों के संकलन और रखरखाव की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था।
- **CAG की शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है।**

रिपोर्ट पेश करने के लिए संवैधानिक प्रावधान -

- **अनुच्छेद 151:** CAG रिपोर्ट को संसद या राज्य विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है, **लेकिन इसमें कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।**
    - **विलंब:**
        - दिल्ली सरकार ने लगभग **12 रिपोर्टें रोक रखी हैं**, जिनमें से कुछ **चार वर्ष से भी अधिक** पुरानी हैं, जिसके कारण विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की है तथा कानूनी कार्रवाई की है।
        - पश्चिम बंगाल ने अतीत में भी CAG रिपोर्ट पेश करने में देरी की है।
- **CAG की रिपोर्टें विधानमंडल में प्रस्तुत किये बिना प्रकाशित नहीं की जा सकतीं।**

- **CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो फिर उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल में पेश करते हैं।**

स्रोत: **The Hindu - No point in tabling CAG reports now:**

मियावाकी विधि

संदर्भ

प्रयागराज नगर निगम ने पिछले दो वर्षों में जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करके कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए हैं, जो अब हरे-भरे जंगलों में तब्दील हो गए हैं।

मियावाकी विधि के बारे में -

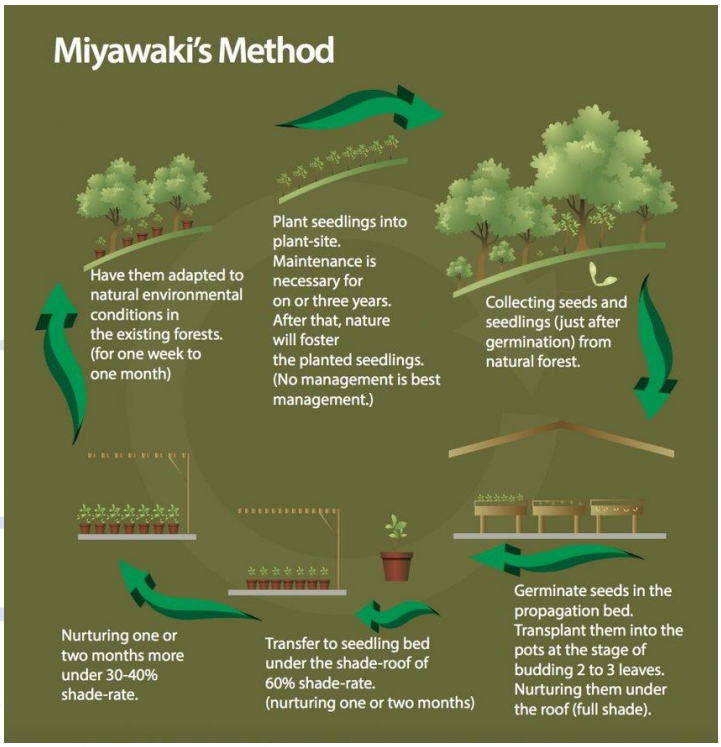

- **यह खराब हो चुकी ज़मीन पर देशी पेड़ों का इस्तेमाल करके तेज़ी से जंगल बनाने की तकनीक है। यह प्राकृतिक पुनर्वनीकरण सिद्धांतों पर आधारित है और शहरी क्षेत्रों में कारगर है।**
- **1970** के दशक में **जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित, इसे गमले में रोपण विधि भी कहा जाता है।**
- इसमें देशी प्रजातियों के पेड़ों और झाड़ियों को एक दूसरे के बहुत करीब लगाया जाता है, जिससे उनकी वृद्धि में तेजी आती है।
- पारंपरिक तरीकों की तुलना में इस तकनीक से पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं।
- **लाभ:**
    - **तेजी से बढ़ने वाला:** पेड़ तेजी से बढ़ते हैं, जिससे वन क्षेत्र को शीघ्रता से बनाने में मदद मिलती है
    - **उच्च जैव विविधता:** मियावाकी वनों में पड़ोसी वनों की तुलना में अधिक जैव विविधता है।
    - **कार्बन अवशोषण:** पेड़ अधिक कार्बन अवशोषण करते हैं।
    - **जलवायु उपचार:** यह विधि मिट्टी, वायु, जल और जलवायु संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है।

UPSC PYQ

प्रश्न: "मियावाकी पद्धति" किसके लिए प्रसिद्ध है: (2022)

(a) शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना
(b) आनुवंशिक रूप से संशोधित वनस्पतियों का उपयोग करके उद्यानों का विकास
(c) शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का निर्माण
(d) तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संचयन

उत्तर:(c)

स्रोत: [PIB - Dense Forests created in Prayagraj in last two years using Miyawaki Technique]

समलैंगिक विवाह: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले की समीक्षा खारिज की

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर, 2023 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था।

प्रमुख घटनाक्रम -

- न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने चैंबर में याचिकाओं की समीक्षा की।
- **पीठ ने निष्कर्ष निकाला:**
    - **2023 के फैसले में कोई "रिकॉर्ड के तौर पर स्पष्ट त्रुटि" नहीं।**
    - निर्णय कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
    - **दोहराया गया कि समलैंगिक संघों(same-sex unions) को कानूनी मान्यता देने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।**
    - इस बात पर जोर दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो विधायी सुधार संसद द्वारा शुरू किए जाने चाहिए।
    - **विवाह करने के मौलिक अधिकार की धारणा को खारिज कर दिया।**
- याचिकाओं में तर्क दिया गया कि निर्णय "स्व-विरोधाभासी" और अन्यायपूर्ण था, लेकिन उनके तर्क को खारिज कर दिया गया।

2023 का निर्णय

- **पीठ की संरचना:** यह फैसला **पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया**।
- **फैसला**: **3-2** का निर्णय समलैंगिक विवाह मान्यता और सिविल यूनियन को खारिज करता है।
- **बहुमत की राय (3 जज) -** मुख्य बिंदु:
    - समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (SMA) को न्यायिक रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है।
    - विवाह कानूनों में बदलाव संसद के दायरे में है, न्यायपालिका के नहीं।
- **अल्पमत की राय (2 न्यायाधीश)**
    - **सिविल यूनियन**: एक अलग कानूनी ढांचे के रूप में प्रस्तावित, जो समलैंगिक जोड़ों को विवाह के समान कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है।
    - तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि संघ में प्रवेश करने की स्वतंत्रता संविधान के भाग III में निहित है, जिसमें समानता, निजता और सम्मान के अधिकार शामिल हैं।

स्रोत: [The Hindu - SC rejects review of judgment]

सरकार ने सोने, चांदी के आयात बिलों के अधिक आकलन के लिए 'दोहरी गणना' को जिम्मेदार ठहराया

संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नवंबर माह के सोने के आयात के आंकड़ों को संशोधित करते हुए उन्हें 14.8 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर घटाकर 9.9 बिलियन डॉलर कर दिया है।

सोने के आयात संबंधी आंकड़ों में संशोधन का अवलोकन -

- **प्रारंभिक आंकड़े**: नवंबर 2024 में सोने का आयात 14.8 बिलियन डॉलर बताया गया, जिससे 38 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार घाटा हुआ।
- **संशोधित आंकड़े:** आयात को 5 बिलियन डॉलर घटाकर 9.8 बिलियन डॉलर कर दिया गया, जिससे व्यापार घाटा घटकर 33 बिलियन डॉलर रह गया।
- **सोने का आयात:**
    - **भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है, जो मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है।**
    - **आयात स्रोत:** 1. स्विटजरलैंड (कुल का 40%), 2. यूएई (16%) 3. दक्षिण अफ्रीका
    - **सोने की खपत:** चीन के बाद भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

संशोधन का कारण:

- **दोहरी गणना का मुद्दा:**
    - SEZ ऑनलाइन से ICEGATE (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे) में डेटा ट्रांसमिशन तंत्र के स्थानांतरण के कारण त्रुटियां हुईं।
    - SEZ में आयात (विदेशी क्षेत्र के रूप में माना गया) और घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बाद की मंजूरी दोनों को अलग-अलग लेनदेन के रूप में दर्ज किया गया था।
- **तकनीकी गड़बड़ियां**:
    - SEZ ऑनलाइन और ICEGATE के बीच माइग्रेशन प्रक्रिया अधूरी है, जिसके कारण दोनों प्रणालियों द्वारा पारस्परिक रूप से विशिष्ट डेटा वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) को प्रेषित किया जा रहा है।
- **समिति गठन:** केंद्र सरकार ने लगातार व्यापार डेटा प्रकाशन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है।

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (ICEGATE)

- **ICEGATE केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का भारतीय सीमा शुल्क का राष्ट्रीय पोर्टल है।**
- यह एक केंद्रीकृत पोर्टल है जो भारतीय सीमा शुल्क और व्यापारिक समुदाय के लिए कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है। जैसे,
    - **ई-फाइलिंग:** सेवाओं में प्रवेश बिल और शिपिंग बिल दाखिल करना शामिल है
    - **ऑनलाइन भुगतान:** ऑनलाइन शुल्क भुगतान जैसी सेवाएं
    - **दस्तावेज़ ट्रैकिंग:** सीमा शुल्क ईडीआई पर दस्तावेजों की स्थिति पर नज़र रखना।
- यह समुद्र, भूमि, हवाई अड्डों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो सहित सभी बंदरगाहों से EXIM (निर्यात-आयात) डेटा एकत्र करता है।

भारत के व्यापार रुझान (अप्रैल-नवंबर 2024)

- **कुल निर्यात:**
    - **कुल निर्यात: 536.25 बिलियन डॉलर** (2023 में 498.33 बिलियन डॉलर से 7.61% अधिक)।
    - **प्रमुख योगदानकर्ता:** इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, चावल और रेडीमेड वस्त्र।
    - **प्रमुख निर्यात गंतव्य**: अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, ब्रिटेन और सिंगापुर।
- **आयात**:
    - **प्रमुख आयात:** कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना।
    - **शीर्ष आयात स्रोत:** चीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब और इराक।

स्रोत: [The Hindu - Govt. blames 'double-counting']

भारत ने 83 जनसंख्या समूहों से 10,000 मानव जीनोम का संकलन जारी किया

संदर्भ

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने 83 जनसंख्या समूहों से 10,000 मानव जीनोम का डेटाबेस संकलित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो भारत के 4,600 जनसंख्या समूहों में से लगभग 2% का प्रतिनिधित्व करता है।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में -

- **यह 2019 में शुरू की गई एक सरकार के नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय आबादी का एक व्यापक जीनोमिक डेटाबेस बनाने के लिए विविध सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक और भाषाई पृष्ठभूमि से 10,000 से अधिक भारतीयों के जीनोम को अनुक्रमित करना है।**
- इस प्रोजेक्ट में भारत भर के लगभग 20 संस्थान शामिल हैं और इसका विश्लेषण और समन्वय आईआईएससी, बैंगलोर स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है।
- **जीनोम इंडिया डेटाबेस:**
    - हरियाणा के फरीदाबाद स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र (आईबीडीसी) में स्थित।
    - डेटा-साझाकरण और निजता नीतियों का पालन करने वाले वैश्विक शोधकर्ताओं के लिए खुला है।
- **निजता उपाय:** डेटा को संख्यात्मक कोडों से गुमनाम कर दिया जाता है, तथा पहुंच के लिए स्वतंत्र पैनल द्वारा प्रस्तावों की जांच आवश्यक होती है।
- **महत्व:**
    - बेहतर स्वास्थ्य देखभाल परिणामों के लिए सटीक चिकित्सा की सुविधा की उम्मीद है।
    - भारत की अद्वितीय आनुवंशिक विविधता के आधार पर लक्षित नैदानिक हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है।
    - जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था और विनिर्माण विकसित करने के द्वार खोलता है।

जीनोम अनुक्रमण(Genome Sequencing) के लिए अन्य पहल

- **इंडिजेन कार्यक्रम:**
    - इसका लक्ष्य भारत के विविध जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करना है।
    - **उद्देश्य**: जनसंख्या जीनोम डेटा का उपयोग करके आनुवंशिक महामारी विज्ञान को सक्षम बनाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का विकास करना।
- **एक दिन एक जीनोम पहल:**
    - **लॉन्च किया गया:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC)
    - यह पहल भारत में पाई जाने वाली अद्वितीय जीवाणु प्रजातियों को उजागर करेगी और पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर जोर देगी।

संबंधित जानकारी

- **जीनोम अनुक्रमण(Genome Sequencing):**
  - यह किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
  - इसमें न्यूक्लियोटाइड आधारों (एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन) के क्रम को पढ़ना शामिल है जो किसी जीव के जीनोम में डीएनए अणु बनाते हैं।
- **जीनोम बनाम जीन: जीनोम आनुवंशिक सामग्री या डीएनए का संपूर्ण समूह है, जबकि जीन डीएनए का एक विशिष्ट खंड है जो किसी विशेष प्रोटीन या आरएनए अणु के लिए कोड करता है।**

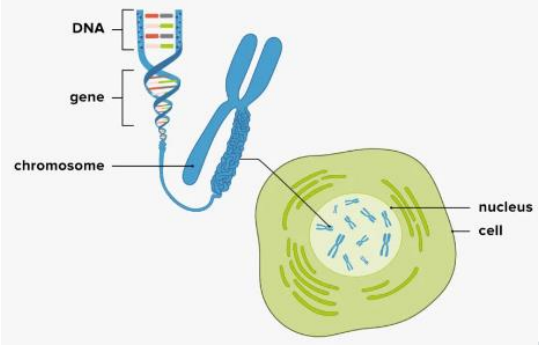

स्रोत: [The Hindu - India releases compilation of 10,000 human genomes]

एथलीटों में अचानक हृदयाघात से मृत्यु

संदर्भ

भागीदारी-पूर्व चिकित्सा मूल्यांकन (PPME) के लाभों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि युवा एथलीटों में अचानक हृदयाघात से मृत्यु(SCD) की घटना में 90% की गिरावट आई है, जो 3.6/100,000 व्यक्ति-वर्ष से घटकर 0.4/100,000 व्यक्ति-वर्ष रह गई है।

अचानक हृदयाघात से मृत्यु के बारे में -

- हृदय संबंधी कारणों से अचानक, अप्रत्याशित मृत्यु या संरचनात्मक रूप से सामान्य हृदय में अस्पष्टीकृत मृत्यु।
- यह आमतौर पर अतालता(Arrhythmia) के कारण होने वाले अचानक हृदयाघात(SCD) के परिणामस्वरूप होता है।
- **अतालता से तात्पर्य अनियमित हृदय गति से है, जिसमें हृदय बहुत तेज, बहुत धीमी गति से या अनियमित पैटर्न में धड़कता है।**

व्यायाम के दौरान क्रियाविधि

- **शारीरिक परिवर्तन:** तीव्र गतिविधि से सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की गतिविधि बढ़ जाती है, जो संवेदनशील व्यक्तियों में अतालता को ट्रिगर कर सकती है।
- **जोखिम:**
    - **पूर्व-मौजूदा स्थितियाँ:** कोरोनरी धमनी रोग और अतालता।
    - **जीवनशैली कारक:** धूम्रपान का इतिहास, अनुचित प्रशिक्षण और मोटापा।
    - **पर्यावरणीय कारक:** उच्च तीव्रता वाला व्यायाम और परिवेश का बढ़ा हुआ तापमान।
- **अनुशंसाएँ:**
    - अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) पूर्व-भागीदारी जांच (PPME) और आवधिक स्वास्थ्य मूल्यांकन की सलाह देती है।

स्रोत: **The Hindu - 'Periodic screening' required to avert sudden cardiac deaths**

समाचार में स्थान

ज़ेड मोढ़ सुरंग(Z Morh Tunnel)

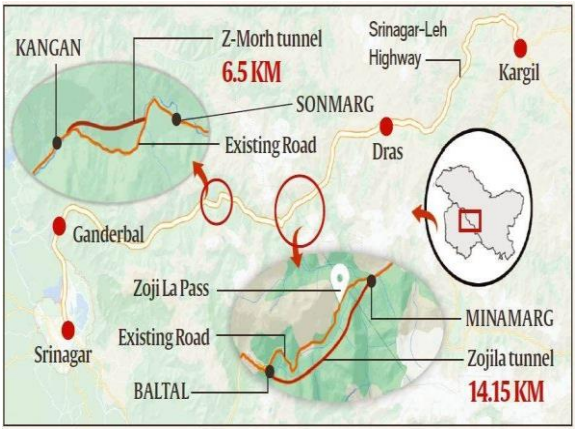

- **यह 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो कंगन शहर को गंदेरबल जिले (जम्मू-कश्मीर) के सोनमर्ग से जोड़ती है।**
- यह एक बड़ी जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका **उद्देश्य श्रीनगर और लेह के बीच सभी मौसम में संपर्क प्रदान करना** है।
- इसका नाम उस Z-आकार की सड़क के नाम पर रखा गया है जहां इसका निर्माण किया जा रहा है।

स्रोत: [The Hindu - PM to open Z-Morh tunnel]

समाचार संक्षेप में

पार्थसारथी पेरुमल मंदिर

- **यह चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में छठी शताब्दी का हिंदू वैष्णव मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है।**
- इसका निर्माण मूल रूप से 6वीं शताब्दी में पल्लवों द्वारा राजा नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा किया गया था और बाद में चोलों द्वारा और बाद में 15वीं शताब्दी में विजयनगर राजाओं द्वारा इसका विस्तार किया गया।
- **मंदिर में विष्णु के पांच रूपों के प्रतीक हैं:** योग नरसिम्हा, राम, गजेंद्र वरदराज, रंगनाथ और कृष्ण पार्थसारथी।
- इसका उल्लेख अलवार संतों के प्रारंभिक मध्ययुगीन तमिल साहित्य सिद्धांत, नालयिरा दिव्य प्रबंधम में भी किया गया है।

स्रोत: The Hindu - book on Parthasarathy Perumal Temple

हुआनियाओ स्याही पेंटिंग

- हाल ही में दिल्ली में ललित कला अकादमी में हुआनियाओ स्याही पेंटिंग का एक संग्रह प्रदर्शित किया गया था।
- **हुआनियाओ स्याही पेंटिंग एक प्रकार की चीनी पेंटिंग हैं जो फूलों, पक्षियों, पानी, पहाड़ों, पेड़ों और परिदृश्यों को दर्शाती हैं।**
- **इनकी उत्पत्ति तांग राजवंश में हुई और सांग राजवंश के दौरान अपने चरम पर पहुँची।**
- पेंटिंग चीन से कोरिया और जापान सहित पूर्वी एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गईं।
- **पेंटिंग्स को चीनी संस्कृति का खजाना माना जाता है।**

स्रोत: The Hindu - A splash with ink

त्वय-ए-गर्द शिकार

- **'त्वय-ए-गर्द शिकार' कश्मीर में मछली पकड़ने का एक पारंपरिक तरीका है। इसे शैडो फिशिंग के नाम से भी जाना जाता है।**
- यह **श्रीनगर के अंचार झील** में प्रचलित है।
- इस विधि में मछुआरे मछली पकड़ने वाले हारपून से सुसज्जित लकड़ी की नावों का उपयोग करते हैं।
- वे नाव के कोने में कपड़े या छतरी के नीचे छिप जाते हैं। इससे पानी पर छाया पड़ती है, जो मछलियों को आकर्षित करती है।
- मछुआरे इन मछलियों को भाले से पकड़ते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों में किया जाता है।

स्रोत:[The Hindu - Silent waters hidden catch]

भारतीय प्रवासियों के इतिहास का दस्तावेजीकरण - गिरमिटिया

- **गिरमिटिया समुदाय के इतिहास** पर अध्ययन और शोध होना चाहिए।

गिरमिटिया के बारे में -

- **गिरमिटिया भारतीय बंधुआ मजदूरी प्रणाली का हिस्सा थे। उन्हें फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में बागानों में काम करने के लिए भेजा जाता था**
- **उन्हें जहाजी के नाम से भी जाना जाता था।**
- **गिरमिटिया भारत क्यों छोड़कर चले गए?**
    - **आर्थिक कठिनाइयाँ:** कई गिरमिटिया अकाल और आर्थिक कठिनाइयों के कारण भारत छोड़कर चले गए।
    - **श्रम की कमी:** ब्रिटिश साम्राज्य ने **1833 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया,** जिससे चीनी बागानों में श्रमिकों की कमी हो गई।
- उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि वे पांच साल तक काम करेंगे, लेकिन बाद में धोखा दिया गया।

स्रोत: [The Hindu - Document history of Indian diaspora: Modi]

संपादकीय सारांश

हमें ऐसे सुगम्यता नियमों की आवश्यकता है जो सिद्धांतों पर आधारित हों

संदर्भ

राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) नियम, 2017 के नियम 15 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन माना।

राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ (2024) में न्यायालय द्वारा पहचाने गए मुद्दे -

- **नियम 15 की विवेकाधीन प्रकृति:** सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि RPWD नियम, 2017 के नियम 15 को विवेकाधीन तरीके से तैयार किया गया था, जो RPWD अधिनियम, विशेषकर धारा 40, 44, 45, 46 और 89 में निर्धारित अनिवार्य दायित्वों का खंडन करता है।
    - इस असंगतता ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने की विधायी मंशा को कमजोर कर दिया।
- **वैधानिक प्राधिकार की हानि:** नियम 15 को निरस्त करने का अर्थ है कि इस नियम के अंतर्गत अधिसूचित सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देश अपना वैधानिक प्राधिकार खो देंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सुगम्यता मानकों के लिए कानूनी प्रवर्तन में महत्वपूर्ण अंतर पैदा हो जाएगा।
- **खंडित दिशानिर्देश:** न्यायालय ने मौजूदा दिशानिर्देशों की आलोचना करते हुए कहा कि इन्हें बिना किसी सुसंगत ढांचे के अलग-अलग ढंग से बनाया गया है, जिससे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सुगम्यता मानकों के अनुपालन के संबंध में भ्रम और असंगति पैदा हो रही है।
- **तत्काल न्यूनतम मानकों का अभाव:** विद्यमान दिशानिर्देशों में सुगम्यता के लिए तत्काल न्यूनतम मानक निर्धारित किए बिना दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही गई, जिससे समय पर कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।
- **अमूर्त बाधाएं:** न्यायालय ने माना कि हालांकि RPWD अधिनियम में मनोवृत्ति संबंधी चुनौतियों जैसी अमूर्त बाधाओं को स्वीकार किया गया है, लेकिन मौजूदा ढांचे अक्सर इनका पर्याप्त रूप से समाधान करने में विफल रहते हैं।
- **नौकरशाही जटिलता:** पिछले नियम नौकरशाही जटिलताओं और कई मंत्रालयों के विरोधाभासी आदेशों से ग्रस्त थे, जिसके कारण अनुपालन लागत में वृद्धि हुई और दिव्यांगजनों को राहत मिलने में देरी हुई।
- **व्यवस्थित ऑडिट की आवश्यकता:** RPWD अधिनियम की धारा 48 के तहत सामाजिक ऑडिट के दायरे और कार्यप्रणाली के लिए मानकीकृत दिशानिर्देशों का अभाव।
    - इसके परिणामस्वरूप राज्यों में असंगतियां पैदा हुईं तथा लेखा परीक्षकों का प्रशिक्षण अपर्याप्त रहा।

न्यायालय की सिफारिशें

- **अनिवार्य नियमों का विकास:** न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 40 के तहत अनिवार्य सुगम्यता नियम बनाए।
    - इसमें मौजूदा विस्तृत दिशा-निर्देशों से गैर-परक्राम्य नियमों को अलग करना शामिल है।
- **हितधारकों से परामर्श:** इन नए नियमों को विकसित करने की प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों सहित सभी हितधारकों से परामर्श शामिल होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए।
- **प्रगतिशील अनुपालन:** जबकि नए अनिवार्य नियम विकसित किए जा रहे हैं, सरकार को सुगम्य भारत अभियान के तहत मौजूदा लक्ष्यों की दिशा में बिना किसी रुकावट के प्रगति जारी रखनी चाहिए।
- **आधारभूत मानकों की स्थापना:** न्यायालय ने गैर-परक्राम्य सुलभता मानकों की एक आधारभूत रेखा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका सभी क्षेत्रों में पालन किया जाना चाहिए।

- **प्रणालीगत समावेशन उपाय:** सिफारिशों में प्रणालीगत समावेशन के लिए उपायों को लागू करना शामिल था जैसे:
    - दिव्यांगता-अनुकूल सार्वजनिक अवसंरचना।
    - सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संवेदीकरण प्रशिक्षण।
    - सुलभ शिक्षा एवं परिवहन प्रणालियाँ।
- **नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा:** न्यायालय ने सुगम्यता संबंधी पहलों की प्रगति का आकलन करने तथा सेवा वितरण में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा अनिवार्य कर दी है।
- **दिशानिर्देशों का सरलीकरण:** नौकरशाही जटिलताओं को संबोधित करते हुए प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए नए सुगम्यता नियम प्रत्यक्ष, समझने योग्य और व्यावहारिक होने चाहिए।
- **नोडल प्राधिकरण की स्थापना:** सुगम्यता मानकों के अनुपालन के संबंध में विभिन्न विभागों के बीच अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नोडल प्राधिकरण नामित किया जाना चाहिए।
- **सुगम्यता लक्ष्यों की चरणबद्ध प्राप्ति:** न्यायालय ने समय के साथ सुगम्यता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया, जो 2040 तक पूर्ण सुगम्यता प्राप्त करने के लिए कनाडा के रोडमैप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के समान है।

स्रोत: **The Hindu: We need accessibility rules that are based on principles**

BNS की धारा 152 को राजद्रोह का माध्यम नहीं बनना चाहिए

संदर्भ

तेजेंदर पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2024) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के संभावित दुरुपयोग के प्रति आगाह किया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- यह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानता है।
- **2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा पुनर्विचार की आशंका के चलते आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) के तहत लंबित मुकदमों और कार्यवाही को निलंबित कर दिया।**
- केन्द्रीय गृह मंत्री ने मौखिक रूप से राजद्रोह को अपराध के रूप में समाप्त करने की घोषणा की।
- **BNS की धारा 152 उन कृत्यों को अपराध मानती है जो अलगाव, विद्रोह या विध्वंस को बढ़ावा देते हैं, साथ ही उन कृत्यों को भी अपराध मानती है जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं या संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं।**
- यद्यपि BNS में 'राजद्रोह' शब्द को हटा दिया गया है, परन्तु धारा 152 में समान तत्व बरकरार हैं, जिससे इसके संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

धारा 152 से संबंधित समस्याएं

- **अस्पष्ट शब्दावली**: धारा 152 उन कृत्यों को आपराधिक मानती है जो "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं", लेकिन यह परिभाषित नहीं करती कि ऐसे खतरे को क्या कहा जाएगा।
    - यह अस्पष्टता प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा व्यापक व्याख्या की अनुमति देती है।
    - राजनीतिक या ऐतिहासिक हस्तियों की आलोचना को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप असहमति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
- **उत्तरदायित्व की निचली सीमा:** "जानबूझकर" शब्द को शामिल करने से धारा 152 के तहत अपराध करने की सीमा कम हो जाती है, विशेष रूप से सोशल मीडिया के संदर्भ में।
    - किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे पोस्ट को साझा करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचता है तथा निषिद्ध गतिविधियों को भड़का सकता है, भले ही उसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण न हो।
- **दुरुपयोग की संभावना:** भाषण और उसके परिणामों के बीच कारण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता का अभाव, भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत देखे गए दुरुपयोग के समान चिंताएं उत्पन्न करता है।
    - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 और 2020 के बीच राजद्रोह के आरोप में 548 गिरफ्तारियों में से केवल 12 में ही दोषसिद्धि हुई।
    - इससे पता चलता है कि धारा 152 जैसे व्यापक और कम विशिष्ट प्रावधानों के दुरुपयोग की उच्च संभावना है।

न्यायालय की सिफारिशें

- **न्यायिक व्याख्या:** न्यायपालिका को राष्ट्रीय हितों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के लिए धारा 152 को लागू करते समय परिणामवादी व्याख्या अपनानी चाहिए।
    - ऐतिहासिक रूप से न्यायालयों ने भाषण की विषय-वस्तु के बजाय वास्तविक परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया है।

  - **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) और केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)** जैसे मामलों के उदाहरण भाषण और उसके प्रभाव के बीच प्रत्यक्ष कारण संबंध की आवश्यकता पर बल देते हैं।
- **प्रवर्तन हेतु दिशानिर्देश:** सर्वोच्च न्यायालय को मनमाने प्रवर्तन को रोकने के लिए धारा 152 में प्रयुक्त शब्दों की सीमाओं को रेखांकित करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश विकसित करने चाहिए।
  - यह दृष्टिकोण उसके पिछले निर्णयों को प्रतिबिंबित करता है, जैसे कि गिरफ्तारी के संबंध में डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला।
- **स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना:** विविध विचारों और अभिव्यक्तियों के लिए उदार स्थान होना चाहिए, विशेषकर सोशल मीडिया के युग में।
  - अब्राम्स बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका मामले में न्यायमूर्ति होम्स द्वारा व्यक्त "विचारों के बाज़ार" की अवधारणा को लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रवर्तन का मार्गदर्शन करना चाहिए।
- **दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय**: धारा 152 में अंतर्निहित सुरक्षा उपायों की कमी को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इसका प्रवर्तन राजद्रोह कानूनों के समान आड़ में असहमति या आलोचना को दबाने का माध्यम न बन जाए।

स्रोत: **The Hindu: Section 152 of BNS should not become a proxy for sedition**

भारत की विकास मंदी को समझना

संदर्भ

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया।

निष्कर्ष क्या था?

Economic blues

From 2022-23 to 2024-25, real GDP and investment have grown at an annual average rate of 7.2% each and private consumption at 6%. Post-pandemic, there has been one percentage point increase in the annual average growth rate of real investment. Therefore, there is absolutely no indication of any structural break in the investment behaviour of the private corporate sector so far under the 11 years of NDA rule

Chart 1: GDP deflator, CPI and WPI inflation rate (annual average) in %

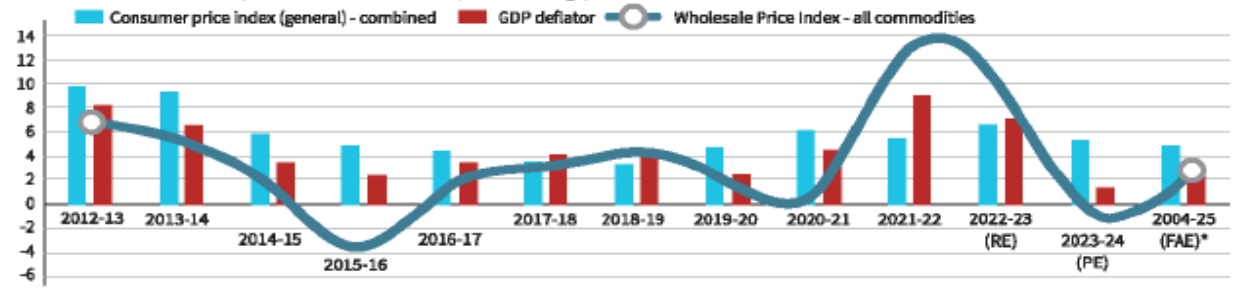

Chart 2: Annual growth rates of GDP, GFCF and PFCE at constant prices in %

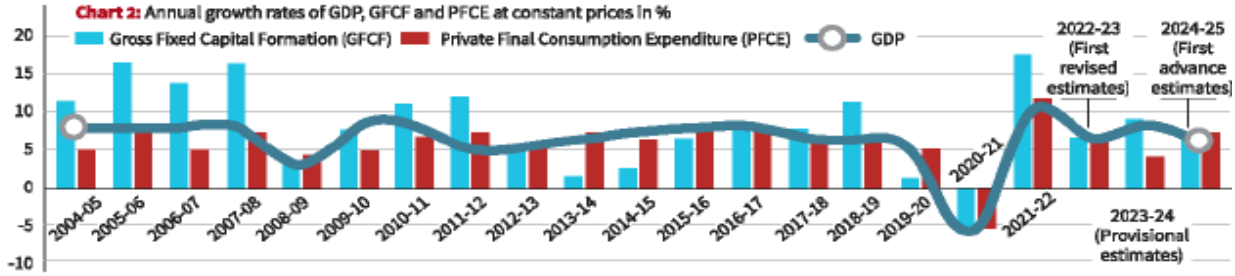

Chart 3: Quarterly (Y-o-Y) growth rates of sectoral gross value added at constant prices in %

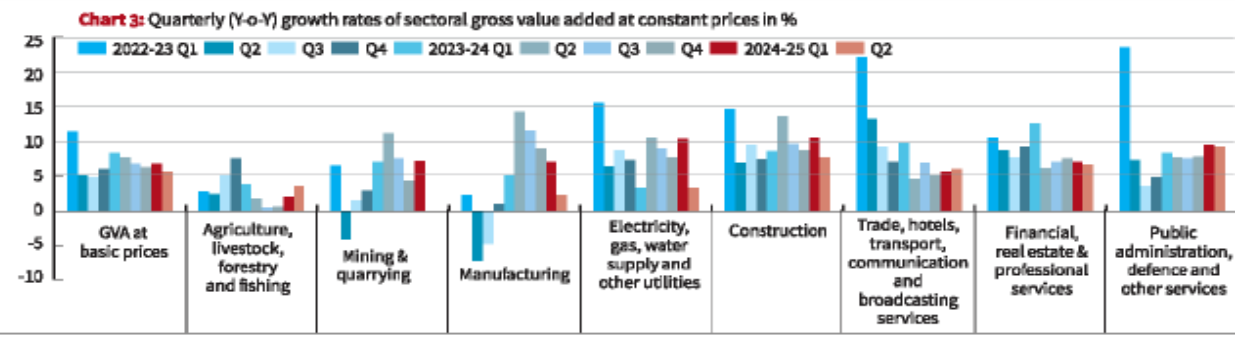

Table 1: Union Government's accounts: revenue and expenditure heads at the end of November 2023 and 2024

	Centre's net tax revenue		Centre's non-tax revenue		Capital expenditure		Revenue expenditure	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
Budget estimates (BE) (₹crore)	23,30,631	25,83,499	3,01,650	5,45,701	10,00,961	11,11,111	35,02,136	37,09,401
April to November (₹crore)	14,35,755	14,43,435	2,84,365	4,27,020	5,85,645	5,13,500	20,66,522	22,27,502
% of Budget estimate (April to November)	61.6	55.9	94.3	78.3	58.5	46.2	59.0	60.1
% of Budget estimate (April to March)	99.8	n.a.	133.2	n.a.	94.8	n.a.	99.76	n.a.

Source: Source: Controller General of Accounts (CGA), Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, NSO, MoS&PI, GoI; DPIIT, MoC&I, National Accounts Statistics 2024 & First Advance Estimates of GDP for 2024-25.

- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) की वृद्धि दर 2023-24 में 8.2% से घटकर 6.4% रह गई।
- यह आंकड़ा जुलाई 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 6.5% से 7% की सीमा से नीचे है।
- नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर 9.7% अनुमानित है, जो पिछले केंद्रीय बजट में अनुमानित 10.5% से काफी कम है।

मायावी निजी निवेश

- **आर्थिक सर्वेक्षण अंतर्दृष्टि:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निजी क्षेत्र के निवेश के बारे में आशा व्यक्त की गई, लेकिन मशीनरी और उपकरणों में सुस्त कॉर्पोरेट निवेश के बारे में चिंता जताई गई।
    - केंद्रीय बजट '**रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री पैकेज**' जैसी पहलों का समर्थन करने के लिए निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के पुनरुद्धार पर काफी हद तक निर्भर था, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में 41 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करना था।
- **स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट की वृद्धि**: हाल के अनुमानों से पता चलता है कि वास्तविक सकल स्थिर पूंजी निर्माण वृद्धि में 2023-24 में 9% से घटकर 2024-25 में 6.4% हो गई है, जिससे पता चलता है कि निजी निवेश के नेतृत्व वाली वृद्धि की उम्मीदें अत्यधिक आशावादी हो सकती हैं।

क्षेत्रीय विश्लेषण और सार्वजनिक व्यय

- **क्षेत्रवार जीवीए रुझान**:
    - **गिरावट**: विनिर्माण, खनन, निर्माण, सेवाएं (खुदरा व्यापार, परिवहन, संचार, वित्त)।
    - **विकास**: सार्वजनिक व्यय के कारण लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं मजबूत बनी हुई हैं।
- **सार्वजनिक व्यय की भूमिका**: 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से बढ़ने वाला एकमात्र क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा सेवाएं हैं, जो आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक व्यय के महत्व को उजागर करता है।

बजटीय चुनौतियाँ

- मासिक लेखा-जोखा से पता चलता है कि पिछले केन्द्रीय बजट में निर्धारित महत्वपूर्ण राजस्व और व्यय लक्ष्य संभवतः अप्राप्य हैं।
    - नवंबर 2024 तक, शुद्ध कर राजस्व ₹25.83 ट्रिलियन के बजटीय लक्ष्य का केवल 56% था।
- इस कमी के परिणामस्वरूप नवंबर 2024 तक ₹11.11 ट्रिलियन के बजटीय पूंजीगत व्यय का आधे से भी कम खर्च किया जा सका।

जीडीपी अनुमानों में डेटा विसंगतियां

- **डिफ्लेटर का उपयोग**: जीडीपी डिफ्लेटर (डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का भारित औसत) डब्ल्यूपीआई की अस्थिरता के कारण त्रुटिपूर्ण है।
- **आईएमएफ की टिप्पणियां**:
    - WPI के स्थान पर **उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) को लाने की सिफारिश की गई**।
    - गतिविधि और व्यय के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया।
- **मुद्रास्फीति दर में विचलन**:
    - WPI मुद्रास्फीति 2022-23 में 9.4% से घटकर 2023-24 में -0.7% हो गई, जबकि CPI मुद्रास्फीति 5.4% रही।
    - परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में केवल 1.4% की गिरावट आई, जो नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के रुझानों के विपरीत है।

स्रोत: [The Hindu: Decoding India's growth slowdown]

विस्तृत कवरेज

क्या भारत दोहरी नागरिकता के विचार के प्रति खुला है?

संदर्भ

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दोहरी नागरिकता प्रदान करने में चुनौतियों को स्वीकार किया है, लेकिन इस मुद्दे पर चल रही चर्चाओं का भी उल्लेख किया है।
- सरकार ने पूर्ण दोहरी नागरिकता प्रदान किए बिना भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए ओसीआई लाभों का विस्तार करने पर विचार किया है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 5 से 11

- **अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता**
  - **26 जनवरी 1950** को भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की गई यदि वे:
    - भारत में पैदा हुए थे, या
    - माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, या
    - संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत में निवास किया हो।
- **अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार**
  - **19 जुलाई 1948** से पहले पाकिस्तान से आये प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे यदि वे:
    - प्रवास के बाद से भारत में रह रहे थे, या
    - पंजीकरण से पहले कम से कम छह महीने तक भारत में रहने के बाद खुद को नागरिक के रूप में पंजीकृत कराया।
- **अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार**
  - जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में पुनर्वास परमिट के तहत भारत लौट आए, वे पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकते हैं।
- **अनुच्छेद 8: विदेश में रहने वाले भारतीयों के नागरिकता के अधिकार**
  - भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग (जिन क्षेत्रों में उनके पूर्वज भारत में पैदा हुए थे) भारतीय राजनयिक या वाणिज्य दूतावास कार्यालयों में नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।
- **अनुच्छेद 9: दोहरी नागरिकता नहीं**
  - कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- **अनुच्छेद 10: अधिकारों की निरंतरता**
  - कानून द्वारा प्रदत्त नागरिकता के प्रावधान तब तक जारी रहेंगे जब तक संसद द्वारा उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता।
- **अनुच्छेद 11: संसद की शक्ति**
  - यह विधेयक संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।

नागरिकता अधिनियम 1955

अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955, भारत में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

नागरिकता प्राप्त करने के तरीके:

- **जन्म से: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद** लेकिन **1 जुलाई 1987 से पहले** भारत में जन्मे - स्वतः ही नागरिक।
    - **1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004** के बीच जन्मे - यदि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है तो वे भारतीय नागरिक हैं।
    - **3 दिसंबर 2004** को या उसके बाद जन्मे व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा, यदि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है।
- **वंशानुक्रम से**: भारत के बाहर भारतीय नागरिक माता-पिता के यहां जन्मा, एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण के अधीन।
- **पंजीकरण द्वारा**: भारतीय मूल के व्यक्तियों या निवास आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भारतीय नागरिकों से विवाहित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- **प्राकृतिकीकरण द्वारा**: यह नागरिकता किसी विदेशी को दी जाती है जो कम से कम **12 वर्षों से भारत में रह रहा हो** तथा अन्य शर्तों को पूरा करता हो।
- **क्षेत्र के समावेश द्वारा**: यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो सरकार उन लोगों को निर्दिष्ट करती है जो नागरिक होंगे।

नागरिकता समाप्ति के तरीके

- **त्याग द्वारा**: स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना।
- **समाप्ति द्वारा**: यदि कोई नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो यह स्वतः समाप्त हो जाती है।
- **वंचना द्वारा**: यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो या व्यक्ति देश के हितों के विरुद्ध कार्य करता हो तो सरकार नागरिकता रद्द कर सकती है।

भारत में निवासियों के प्रकार

- **नागरिक:** संविधान के तहत पूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकार, जिनमें मतदान, सार्वजनिक पद धारण करना और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं।
    - जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण, या क्षेत्र के समावेश के माध्यम से अर्जित।
- **अनिवासी भारतीय (NRI):** शिक्षा, रोजगार या अन्य उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक।
    - भारतीय पासपोर्ट तो होगा लेकिन अधिकार सीमित होंगे (जैसे, विदेश में रहते हुए मतदान का अधिकार नहीं होगा)।
- **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO):** भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (चार पीढ़ियों तक) जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या कुछ अन्य देशों के नागरिक नहीं हैं।
    - पहले **PIO** कार्ड रखे जाते थे (अब ओसीआई के साथ विलय कर दिए गए हैं)।
- **भारत के विदेशी नागरिक (OIC):** भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला दर्जा।
    - इसमें वीज़ा-मुक्त यात्रा और संपत्ति के अधिकार जैसे कुछ लाभ प्रदान किए गए हैं, लेकिन मतदान, सार्वजनिक पद धारण करना और कुछ सरकारी नौकरियां इसमें शामिल नहीं हैं।
- **विदेशी:** गैर-नागरिक जो भारतीय मूल के नहीं हैं और जिन्हें भारत में रहने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है।
    - विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन।
- **अवैध प्रवासी:** वे लोग जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या अपनी वीज़ा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहते हैं।
    - कुछ मामलों में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा शासित होते हैं, और आम तौर पर निर्वासन के अधीन होते हैं।

संशोधन

- **CAA 2019 (नागरिकता संशोधन अधिनियम): यह 31 दिसंबर 2014** से पहले भारत आए **पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान** से सताए गए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।
    - इसमें यह भी कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रखने वाले लोग - एक आव्रजन स्थिति जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है - यदि वे बड़े और छोटे अपराधों और उल्लंघनों के लिए स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो वे अपना दर्जा खो सकते हैं।

दोहरी नागरिकता की अनुमति देने वाले एशियाई देश

- **कंबोडिया:** निवेश, प्राकृतिककरण, वंश या विवाह के माध्यम से दोहरी नागरिकता की अनुमति है। नागरिक अपनी मूल नागरिकता त्यागे बिना कई पासपोर्ट रख सकते हैं।
- **बांग्लादेश:** यह कानून व्यक्तियों को अन्य देशों की नागरिकता रखते हुए बांग्लादेश की नागरिकता बनाए रखने की अनुमति देता है। दोहरी नागरिकता निवेश, विवाह या प्राकृतिककरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- **श्रीलंका:** यह योजना उन लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करती है, जिन्होंने किसी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त करके अपनी श्रीलंकाई नागरिकता त्याग दी है, या जो विदेश से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, वे दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र हैं।
    - नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में रोजगार, संपत्ति का स्वामित्व, निवेश या श्रीलंकाई नागरिक से विवाह जैसे कारक शामिल हैं।
- **थाईलैंड:** स्थायी निवास, रोजगार और थाई नागरिकों से विवाह जैसे मानदंडों को पूरा करने वाले विदेशियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति है।
- **ताइवान:** मूलनिवासी नागरिकों और शिक्षा, विज्ञान या प्रौद्योगिकी में असाधारण कौशल वाले विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है।
- **हांगकांग:** गुणवत्तापूर्ण प्रवासी प्रवेश योजना (क्यूएमएएस) और निवेश के अवसरों जैसी योजनाओं के माध्यम से निवास और संभावित नागरिकता के लिए मार्ग प्रदान करता है।
- **पाकिस्तान:** संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 19 विशिष्ट देशों के साथ दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है।
- **फिलीपींस:** फिलीपींस में जन्मे व्यक्तियों, फिलीपींस मूल के व्यक्तियों तथा देश के बाहर फिलीपींस माता-पिता से जन्मे व्यक्तियों को दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति है।

दोहरी नागरिकता के पक्ष में तर्क

- **प्रवासी संबंधों को मजबूत करना:** दोहरी नागरिकता भारतीय प्रवासियों के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा कर सकती है, जिससे उन्हें भारत के विकास और वैश्विक प्रभाव में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **आर्थिक योगदान:** प्रवासी समुदाय निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार सहयोग में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- **वैश्विक गतिशीलता और लचीलापन:** दोहरी नागरिकता प्रदान करने से विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने गोद लिए गए देशों में अवसरों को छोड़े बिना अपनी विरासत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
- **सॉफ्ट पावर में वृद्धि:** दोहरी नागरिकता वाला एक मजबूत प्रवासी समुदाय अनौपचारिक राजदूत के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे।
- **अन्य देशों में मिसालें:** अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देश बिना किसी बड़ी समस्या के दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने से भारत वैश्विक प्रथाओं के साथ जुड़ सकता है।

दोहरी नागरिकता के विरुद्ध तर्क

- **विभाजित निष्ठाएं:** दोहरी नागरिकता के कारण परस्पर विरोधी राजनीतिक निष्ठाएं उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से भारत और दूसरे राष्ट्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवादों के दौरान।
- **संप्रभुता का क्षरण:** दोहरी नागरिकता वाले लोगों को वोट देने और नीति निर्धारण को प्रभावित करने की अनुमति देने से विदेशी निष्ठा वाले व्यक्तियों को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार मिल सकता है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा हो सकता है।
- **प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं:** दोहरी नागरिकता का प्रबंधन करने से कराधान, कानूनी विवाद और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां उत्पन्न होंगी, खासकर यदि दोनों देशों के कानूनों के बीच टकराव उत्पन्न हो।
- **सुरक्षा जोखिम:** दोहरी नागरिकता वाले लोग अपनी स्थिति का दुरुपयोग जासूसी, अवैध वित्तीय गतिविधियों या भारत के हितों के लिए हानिकारक अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं।
- **असमान व्यवहार:** दोहरी नागरिकता के विशेषाधिकार, धनी और उच्च स्थिति वाले प्रवासी समुदायों को असमान रूप से लाभ पहुंचा सकते हैं, जिससे सामाजिक-आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है।
- **राजनीतिक हेरफेर:** भारत की राजनीतिक प्रक्रियाओं पर विदेशी प्रभाव का खतरा है, खासकर यदि दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को वोट देने या सार्वजनिक पद धारण करने की अनुमति दी जाती है।

स्रोत: Times of India

The Hindu: Is India open to the idea of dual citizenship?